(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग– ।।, खण्ड–3, उप–खण्ड (ii) प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं.03/2015–2020
दिनांक: 09 मई, 2022

विषय: ग्वार गम की निर्यात नीति में संशोधन के संबंध में।

सा.आ. (अ) विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 (वर्ष 1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा ग्वार गम के निर्यात से संबंधित अधिसूचना संख्या 31/2015–20 दिनांक 29.09.2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है:–

2. आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018 की अनुसूची–2, अध्याय 13 की कम संख्या 89 से संबंधित संशोधित तालिका निम्नानुसार है:–

क्रम सं.	आईटीसी (एचएस) कोड	उत्पाद विवरण	निर्यात नीति	नीतिगत शर्त
89	1302 1302 32 30	ग्वार गम उपचारित और चूर्णित	मुक्त	भारत में उद्गमित अथवा भारत से यूरोपीय संघ (ईयू) और यूके को भेजे जाने वाले पशु अथवा मानव उपभोग हेतु अभिप्रेत ग्वार गम का निर्यात अनुमत है बशर्ते कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार का प्राधिकृत प्रतिनिधि अर्थात शैलेक एवं वन उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (एसएचईएफ ईएक्सआईएल), कोलकाता द्वारा आधिकारिक प्रमाण–पत्र जारी किया जाए जिसके साथ (क) निम्नलिखित में से किसी एक अभिकरण द्वारा जारी पेंटाक्लोराफिनॉल (पीसीपी) के परीक्षण की मूल विश्लेषणात्मक रिपोर्ट हो जो प्रमाणित करे कि उत्पाद की सक्षम प्राधिकारी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किए गए सैंपलिंग के दौरान इसमें प्रति कि.ग्रा. में 0.01 मि. ग्रा. से अधिक पीसीपी न मौजूद हो:–

...2/-

प्र. सां 2011

				• विमटा लैब्स, हैदराबाद और • निर्यात निरीक्षण अभिकरण (ईआईए) लैब, चेन्नई (ख) निम्नलिखित अभिकरण द्वारा ईटीओः ईथीलीन ऑक्साइड (इथीलीन ऑक्साइड और 2–क्लोराएथेनिऑल का जोड जिसका ईथीलीन ऑक्साईड के रूप में उल्लेख हो) के परीक्षण की मूल विश्लेषणात्मक रिपोर्ट जिसमें यह प्रमाणित किया जाए कि उत्पाद की सक्षम प्राधिकारी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सेंपलिंग के दौरान इसमें प्रति कि.ग्रा. में ईटीओ की मात्रा 0.02 एमजी से अधिक न मौजूद होः– • विमटा लैब्स, हैदराबाद; • ईआईए लैब, मुम्बई

3. इस अधिसूचना का प्रभावः

यूरोपीय संघ और यूके को ग्वार–गम के निर्यात को स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र की बजाए अब आधिकारिक प्रमाण–पत्र जारी किए जाने के अधीन तत्काल प्रभाव से अनुमत किया जाएगा।

संतोष कुमार सारंगी
9.5.20

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फाइल संख्या 01/91/180/020/एएम22/ईसी/ई-30417 से जारी)